देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं० - 39/2022

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांक: दिसम्बर 03, 2022

विषयः रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-940/2022 शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.10.2022 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

विभिन्न समुदायों के मध्य वैमनस्यता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कारित किये गये Hate Crime तथा Hate Speech के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित वाक्स में अंकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0-21/2020 दि0-07.06.2020
डीजी परिपत्र सं0-47/2018 दि0-03.09.2018
डीजी परिपत्र सं0-41/2018 दि0-26.07.2018
डीजी परिपत्र सं0-06/2017 दि0-26.03.2017

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-940/2022 शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.10.2022 में विभिन्न सम्प्रदायों के विरुद्ध किये जा रहे Hate Speech के अपराध को संविधान द्वारा स्थापित देश के लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विपरीत बताया है तथा इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये हैं—

> "We feel that this Court is charged with the duty to protect the fundamental rights and also preserve the constitutional values and the secular democratic character of the nation and in particular, the rule of law.
>
> The matter needs examination, and some form of interim directions.
>
> Issue notice.
>
> Respondent No.2-Commissioner of Police, New Delhi, Respondent No.3-Director General of Police Uttarakhand and Respondent No.4 Director General of Police, Uttar Pradesh will file a report as to what action has been taken in regard to such acts as are the subject matter of this writ petition within their jurisdiction.
>
> Respondent Nos. 2 to 4 shall ensure that immediately as and when any speech or any action takes place which attracts offences such as Sections 153A, 153B and 295A and 505 of the IPC etc., suo moto action will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming and proceed against the offenders in accordance with law. Respondent Nos.2 to 4 will therefore issue direction(s) to their subordinates so that appropriate action in law will be taken at the earliest.

We make it clear that any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this Court and appropriate action will be taken against the erring officers.

We further make it clear that such action will be taken irrespective of the religion that the maker of the speech or the person who commit such act belongs to, so that the secular character of Bharat as is envisaged by the Preamble, is preserved and protected. "

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित आदेश के माध्यम से मुख्य रूप से यह निर्देशित किया गया है कि Hate Speech की घटना संज्ञान में आने के बाद किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न कराये जाने की दशा में स्थानीय पुलिस द्वारा स्वयमेव संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत किया जायेगा तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। न्यायिक आदेश में यह भी उल्लिखित है कि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने को "न्यायालय की अवमानना" मानते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-4 व धारा-12 तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-1 द्वारा राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि Hate Crime अथवा Hate Speech की घटना के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होते ही अथवा शिकायत प्राप्त न होने की दशा में स्वयमेव संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जायेगा तथा विधि अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त निर्देश मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन तथा पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट व्यक्तिगत रूचि लेकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

02/12/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।